देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअगस्त 1 ,2013

विषय- बलात्कार एवं बलात्कार सहित हत्या जैसे जघन्य अपराधों के पंजीकरण एवं विवेचना में सुधार हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

हत्या एवं बलात्कार जैसे अपराधों के पंजीकरण, विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं इसमें वैज्ञानिक विधियों का समावेश किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं एवं विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जातीरही है। आप सहमत होगें कि अपराधों के सही पंजीकरण व विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होने से अपराधियों को मा0 न्यायालय से दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ेगा साथ ही अपराधियों पर दबाव बढ़ने के साथ अपराधों पर नियंत्रण भी होगा।

डीजी-सात-एस-2ए (निर्देश)/2013 दि0 12.4.2013
अ0शा0 परिपत्र संख्या-13/2013 दि0 17.04.13
डीजी परिपत्र संख्या-16/2013 दि0 29.04.13
अ0श0 परिपत्र संख्या-19/2013 दि0 06.05.13

2. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल अपील (कैपिटल केस) नम्बर 2899/2011 नेम सिंह उर्फ मूला बनाम स्टेट आफ यू0पी0, क्रिमिनल रिफ्रेस नंम्बर 10/2011 व गर्वन्मेंट अपील 4681/2011 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अवधेश के प्रकरण में बलात्कार सहित हत्या की विवेचना में विवेचक द्वारा की गयी लापरवाही तथा विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग न करके मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कारण विचारण के दौरान ठोस साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के दोष मुक्त होने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति न अपनाने के कारण क्षोभ व्यक्त करते हुए अपने निर्णय में बलात्कार व बलात्कार सहित हत्या के अपराधों के पंजीकरण व विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आदेश दिये गये। उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैः-

We therefore make the following suggestions:

1.Whenever there is the slightest suspicion (which is probable in the case of the apparently reasonless murder of a little girl child, corroborated by injuries on her body, especially to her private parts) the police should not hesitate in registering the crime also under section 376 IPC, and not show the crime only as a murder.

2.The medical examination by a Registered Medical Practitioner (RMP) of the arrested accused whose examination may provide ground for suggesting his involvement in the rape crime, be got immediately conducted by the Investigating officer, not only in compliance of s. 53 Cr.P.C. (as mentioned above), but also u/s s. 53 A (1) as specifically provided by Act 25 of 2005 for rape related offences.

3.Under s. 53 A (2) Cr.P.C. the RMP shall immediately examine the accused noting the name and address of the accused and the person producing the accused. Age of the accused, marks of injury on the accused's person, material collected from the accused's person for DNA profiling, details of other material particulars, reasons for conclusions, exact time of commencement or examination. The report has to be forwarded to the I.O

and through him to the Magistrate concerned u/s 173(5)(e) Cr.P.C. The "Examination" u/s 53(2), Explanation (vide Act 25 of 2005) includes examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences and finger nail clippings by the use of modern scientific techniques including DNA profiling and other tests considered necessary by the RMP. A similar procedure for examination of the living victim of rape, subject to her own or guardian's consent, within 24 hours has been provided by s. 164 A (vide Act 25 of 2005).

4.Under section 157(1) proviso, (inserted Criminal Procedure Amendment Act 5 of 2009) the statement of the victim of rape is to be recorded at her residence or a place of her choice, and preferably by a woman police officer in the presence of her parents, guardians, near relatives, or a local social worker.

5.The supervisory Circle or other senior officer should ensure that the I.O. registers cases where there are reasons to suspect that rape has also been committed also under section 376 IPC and to ensure that the above requirements are strictly observed. It may be pointed out that by newly introduced section 166 A IPC (vide Crl. Law Amendment Act 2013) the failure of a public servant to record the rape FIR or wrongly requiring attendance of the victim at the police station can invite a rigorous imprisonment from 6 months extending to two years. The supervising officer must also ensure that modern scientific and forensic techniques are fully utilized in investigations of rape cum murders.

6.By section 173(I A) introduced by Amendment Act 5 of 2009 the investigation with regard to a child rape is to be completed within 3 months of the report at the police station.

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते है:-

- जहॉ महिलाओं एवं छोटी लड़कियों की हत्या हुई हो और उनके शरीर पर, विशेष रूप से जननांगों पर चोट के कारण बलात्कार का लेशमात्र भी संदेह विद्यमान हो तो हत्या के साथ बलात्कार की धारा के अन्तर्गत मुकदमा अवश्य पंजीकरण किया जायेगा तथा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में भी इसका ध्यान रखा जायेगा।
- विवेचक द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 53 व 53 ए(1) के प्राविधानों के अनुपालन में अभियुक्त का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। बलात्कार की घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात बलात्कार के साक्ष्य के लिए उसका मेडिकल परीक्षण सरकारी डाक्टर से अवश्य कराया जायेगा, जिससे उसके द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि हो सके, तथा अपराध में संलिप्त होने का पर्याप्त आधार मिल सके। इस सम्बन्ध में अभियुक्त का Smegma Test भी कराया जायेगा।
- चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक अभियुक्त तथा उसको प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम, पता नोट करने के पश्चात तत्काल चिकित्सीय परीक्षण करेगा। मेडिकल परीक्षण के समय चिकित्सक बलात्कार सम्बन्धी परिणाम निकालने के कारक जैसे अभियुक्त की आयु, उसके शरीर पर पाये जाने वाली चोटों के निशान, उसके शरीर से डीएनए प्रोफाईलिंग हेतु एकत्रित किये गये पदार्थो तथा अन्य पाये जाने वाले पदार्थो का विवरण अंकित करेगा। चिकित्सीय परीक्षण में परिणाम निर्धारित करने के कारण और परीक्षण के प्रारम्भ होने का सही समय भी अंकित करेगा तथा परीक्षण रिपोर्ट विवेचक को प्रेषित करेगा। उक्त परीक्षण रिपोर्ट को विवेचक द0प्र0सं0 की धारा 173 (5)(इ) के अनुपालन में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

- दं0प्र0सं0 की धारा 53 (2) (Act 25 of 2005) के अन्तर्गत बलात्कार के अपराधों में परीक्षण में रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, प्रयुक्त रूई के फाहे (swab), पीड़िता के जननांग में पाये जाने वाले अभियुक्त का वीर्य तथा अभियुक्त के जननांग पर मौजूद पीड़िता के जननांग के रक्त व स्रवित द्रव, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अंगुलि के नाखूनों से पकड़ने के निशान, डीएनए प्रोफाईलिंग तथा अन्य आवश्यक परीक्षण सरकारी डाक्टर करेगा तथा उसे परीक्षण के लिए संरक्षित करेगा।
- दं0प्र0सं0 की धारा 164(ए) (Act 25 of 2005) के अन्तर्गत बलात्कार की जीवित पीड़िता का उपरोक्त परीक्षण 24 घण्टे के अन्दर उसके स्वयं की सहमति या अभिभावक की सहमति से कराया जायेगा।
- दं0प्र0सं0 की धारा 157(1) के परन्तुक (2009 के Criminal Procedure Amendment Act 5 में सम्मिलित) के अनुसार बलात्कार की पीड़िता का बयान उसके आवास पर या उसके द्वारा इच्छित स्थान पर विशेषतः (Preferably) महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता, अभिभावकों, नजदीकी रिश्तेदारों या सामाजिक कार्यकर्त्ता की मौजूदगी में लिया जायेगा।
- किसी भी दशा में पीड़िता को थाने पर नहीं रखा जायेगा। यदि चिकित्सा की आवश्यकता हो तो उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया जायेगा, अन्यथा स्वेच्छा से घर जाने दिया जायेगा।
- क्षेत्राधिकारी या अन्य उच्च पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि जिन घटनाओं में बलात्कार का भी संदेह हो तो वहाँ विवेचक धारा 376 भादवि के अन्तर्गत भी अवश्य अभियोग पंजीकृत करें और उपरोक्त निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करायेगें।
- इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हाल ही में लागू धारा 166(ए)भादवि (vide Crl. Law Amendment Act 2013) के अन्तर्गत यदि कोई लोक सेवक धारा 376 भादंवि का अपराध पंजीकृत करने में असफल रहता है या पीड़िता को अवैधानिक रूप से थाने पर बुलाता है, तो उसे 06 माह से लेकर 02 वर्ष तक के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- बलात्कार सहित हत्या के अपराधों में पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि विवेचना के दौरान आधुनिक विज्ञान तथा विधि विज्ञान तकनीकों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाय।
- धारा 173(1ए)दं0प्र0सं0 (Amendment Act 5 of 2009) के अन्तर्गत बच्चे के साथ हुए बलात्कार के अभियोग की विवेचना 03 माह के अन्दर अवश्य पूरी कर ली जाय।

3. अतः आप सभी को निदेर्शित किया जाता है कि बलात्कार व बलात्कार सहित हत्या के प्रकरण में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

(देवराज नागर) 1.8.13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6.निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
7.निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उ0प्र0 लखनऊ।

1/8/13